



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 03.07.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा व्यक्ति को जान से मारने की नियत से चाकू से हमला करने वाले अभियुक्त को अवैध तमंचे के साथ किया गया गिरफ्तार ।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अवैध शस्त्रों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा जान से मारने की नियत से चाकू से हमला करने वाले अभियुक्त को अवैध तमंचे के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया । गौरतलब हो कि दिनांक 02.07.2025 की रात्रि को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के मर्दननाका के रहने वाले रहमान पुत्र फुलई ने अपने लड़के के ऊपर जान से मारने की नियत से चाकू से हमला घायल करने तथा तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में सूचना दी गई थी जिस पर थाना कोतवाली नगर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमों गठन किया गया था । इस क्रम थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियुक्त को सोहेल खान उर्फ बुगी पुत्र आशिक निवासी गुलाब बाग खाईपार थाना कोतवाली नगर, बांदा को मवाई चौराहा महोबा रोड से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद हुआ है ।

बरामदगी-

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सोहेल खान उर्फ बुगी पुत्र आशिक निवासी गुलाब बाग खाईपार थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा ।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 574/25 धारा 109/118(1)/115(2)/352/351(3) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री राजेश कुमार मौर्य चौकी प्रभारी विश्वविद्यालय
2. हे0कां0 सतेन्द्र कुमार
3. हे0कां0 गोकुलेश मिश्र
4. कां0 माधव